यह भी देखा जाता है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में जारी की गई हिदायतों का बैंकों द्वारा पालन किया जा रहा है या नही । प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध मे बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली सावधिक विवरणियों के आधार पर भी अलग-अलग बैंको के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है ।

---

12 hrs.

RE. ADJOURMENT MOTION—

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर : अध्यक्ष महोदय, हमने एक एडजार्नमेंट मोशन दिया है किसान फायरिंग के बारे मे । किसानो पर गोली चली है, दो किसान मारे गये है । **(व्यवधान)** रोज किसानो पर गोली चल रही है । **(व्यवधान)**

श्री धनिक लाल मंडल: (झंझारपुर): यह किसान विरोधी सरकार है, आप इसको कब तक रहने देगे ? कर्नाटक तमिलनाडु, आन्ध्र, महाराष्ट्र और गुजरात के मेहसाना वगैरा सभी जगह......

अध्यक्ष महोदय : 24 तारीख को कालिंग अटैशन हो रहा है । **(व्यवधान)** Nothing will go on record without my permission.

(Interruptions) **

श्री धनिक लाल मंडल : हम लोगों की बात सुनेंगे कि नही ?

अध्यक्ष महोदय : मैं डिस्कशन कर रहा हूं । **(व्यवधान)**

श्री धनिक लाल मंडल : मै व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं । **(व्यवधान)** हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । आप सुनेंगे नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने साथियो में फैसला कर लें कि किसकी बात सुनू ।

श्री धनिक लाल मंडल : आप सुन नही रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सुन रहा हूं, यह सुनने दें तब न । कौनसी व्यवस्था है बताइये ।

श्री धनिक लाल मंडल : नियम 60 के अन्तर्गत परन्तुक 2 है, उसके अधीन कहना चाहता हूं ।

12.2 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORTS ETC. OF WOOL AND WOOLEN EXPORT PROMOTION COUNCIL, COFFEE BOARD AND RUBBER BOARD, 1978-79

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHUSHEED ALAM KHAN): On behalf of Shri Pranab Mukherjee, I beg to lay on the Table:—

(1) (i) A copy of the Anual Report (Hindi and English versions) of the Wool and Woollen Export Promotion Council, New Delhi, for the year 1978-79 along with Accounts.

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the document mentioned at (i) above. [*Placed in Library. See* No. LT-1337/80.]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bangalore, for the year 1978-79. [*Placed in Library. See* No. LT-1338/80.]

**Not recorded.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 1978-79.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 1978-79 [*Placed in Library. See* No. LT-1339/80]

NOTIFICATIONS UNDER COAL MINES PROVIDENT FUND AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): On behalf of Shri A. B. A. Ghani Khan Chaudhuri, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 7A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948:—

(1) The Coal Mines Family Pension (Amendment) Scheme, 1980, published in Notification No. G.S.R. 758 in Gazette of India dated the 19th July, 1980.

(2) The Coal Mines Provident Fund (Second Amendment) Scheme, 1980, published in Notification No. G.S.R. 907 in Gazette of India dated the 6th September, 1980.

(3) The Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1980, published in Notification No. G.S.R. 908 in Gazette of India dated the 6th September, 1980.

(4) The Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1980, published in Notification No. G.S.R. 909 in Gazette of India dated the 6th September, 1980

(5) The Coal Mines Provident Fund (Third Amendment) Scheme, 1980, published in Notification No. G.S.R. 991 in Gazette of India dated the 27th September, 1980.

(6) The Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund (Second Amendment) Scheme, 1980, published in Notification No. G.S.R. 992 in Gazette of India dated the 27th September, 1980.

(7) The Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Second Amendment) Scheme, 1980, published in Notification No. G.S.R. 993 in Gazette of India dated the 27th September, 1980. [*Placed in Library. See* No. LT-1340/80.]

NOTIFICATION UNDER TOBACCO BOARD ACT

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN: I beg to lay on the Table a copy of the Tobacco Board (Second Amendment) Rules, 1980 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 902 in Gazette of India dated the 6th September, 1980 under sub-section (3) of section 32 of the Tobacco Board Act, 1975. [*Placed in Library. See* No. LT-1341/80.]

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने आज आप को सेवा में एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आप उसे नियम 56 के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप ने उसे अस्वीकार कर दिया है। परन्तुक 2 में यह लिखी है कि अगर आप डिस्कशन न कराना चाहें, तो हम लोगों के कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पढ़ कर सुना दें और मन्त्री महोदय से कम से कम एक बयान दिलवा दें। किसी भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में तीन विकल्प हैं। एक तो यह है कि आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप ने उसे अस्वीकार कर दिया है। वह आप का अधिकार है, मैं उसकी चुनौती नहीं देता हूं। दूसरा विकल्प यह है कि आप मंत्री महोदय से इस बारे में बयान दिलवा सकते हैं और तीसरा यह है कि आप कम से कम उसको पढ़ कर सुना दें। लेकिन आप